

भविष्योन्मुखी बैंकिंग प्रणाली का निर्माण*

एम राजेश्वर राव

सभी को नमस्कार !

आज सुबह मुझे यह उद्घाटन भाषण देने हेतु आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद ! यह सम्मेलन उचित समय पर और काफी उपयुक्त विषय पर आधारित है क्योंकि हम महामारी के दुष्प्रभाव से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि देश के कुछ हिस्सों में संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है, ऐसा लगता है कि टीकों ने इसके प्रभाव को कम कर दिया है और संक्रमण पहले की तरह गंभीर नहीं हैं। उम्मीद है, आगे जाकर हम अपने जीवन में न्यू नार्मल के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होंगे।

एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली का निर्माण सामूहिक प्रयास से संभव है- यह महामारी और अन्य संकटों से एक महत्वपूर्ण सीख रही है। हम सभी एक मजबूत और लचीली वित्तीय प्रणाली के निर्माण में हितधारक हैं और हमारी सामूहिक और सुसंगत प्रतिक्रिया इस प्रयास को आसान बना देगी। इस पृष्ठभूमि में, मैं, वित्त क्षेत्र के ताकत और चुनौतियों पर विचार करना चाहता हूँ क्योंकि हम एक सतत संवृद्धि पथ को पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं।

कोविड के प्रकोप ने देखा कि दुनिया भर की सरकारों ने अभूतपूर्व तालाबंदी की है क्योंकि इसे वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक माना गया था। परिणामी आर्थिक प्रभाव के कारण हमारे सहित कुछ देशों में, जहाँ जीडीपी संकुचित हो रही थी, जीडीपी अनुमानों में व्यापक गिरावट आई। ऐसा आखिरी बार 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के दौरान देखा गया था। कोविड-19 महामारी भी जीएफसी के बाद जी 20 सुधारों के कार्यान्वयन के बाद से वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन की

पहली वास्तविक परीक्षा थी। अब, जैसा कि दुनिया धीरे-धीरे और तेजी से महामारी के बाद की अवधि में कदम रख रही है, हमारा सामूहिक ध्यान, मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण पर केंद्रित होना चाहिए जो एक स्थायी तरीके से समावेशी संवृद्धि प्रदान करेंगे और भविष्य के आघातों को सामना करने में सक्षम होंगे। रूस-यूक्रेन संघर्ष में बढ़ती परिस्थितियों, कच्चे तेल, खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती मुद्रास्फीति ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है।

भारत में कोविड के लिए नीतिगत कार्रवाई

ऐतिहासिक रूप से, हर संकट ने हमें पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है और लगभग हमेशा हमारे सर्वोत्तम प्रयासों को सामने लाया है। हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, हम कह सकते हैं कि सरकार और रिजर्व बैंक विश्व स्तर पर और भारत में संवृद्धि की बारीकी से निगरानी कर रहे थे और उन्होंने, महामारी के असर की प्रकृति और तीव्रता को देखते हुए राजकोषीय, मौद्रिक और विनियामक कार्रवाइयों को सुनिश्चित किया है। जहाँ, हम सभी, एनबीएफसी, एमएसएमई, एमएफआई, और अन्य के सहयोग के लिए लक्षित परिचालन सहित बैंकिंग प्रणाली को प्रदत्त मौद्रिक नीतिगत राहत और तरलता सहयोग कार्रवाइयों से अवगत हैं, मैं विवेकपूर्ण विनियमन की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा जिसने व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और उद्योगों के एक बड़े वर्ग को राहत प्रदान किया।

सुविचारित विवेकपूर्ण कार्रवाई

विवेकपूर्ण हस्तक्षेपों को सावधानीपूर्वक और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना था। महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान, उधारकर्ताओं और व्यक्तियों को ऋण स्थगन के माध्यम से तत्काल वित्तीय दबाव का सामना करने में सक्षम बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद, भले ही चलनिधि उपलब्धता ने बाजारों पर महामारी के प्रारंभिक प्रभाव को कम कर दिया, वित्तीय दबाव प्रकट होना शुरू हो गया क्योंकि उधारकर्ताओं ने अपनी बैलेंस शीट पर व्यावसायिक नुकसान का प्रभाव महसूस करना शुरू कर दिया था। इसी समय, रिजर्व बैंक ने लक्षित समाधान ढाँचे को लागू करने का निर्णय लिया।

* श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16 जून 2022 को मुंबई में आयोजित आईएमसी के 12वें वार्षिक बैंकिंग और वित्त सम्मेलन में दिया गया भाषण। श्री प्रदीप कुमार, श्री पेशीम खबीर अहमद और श्री अरुण कुमार पचमल द्वारा प्रदान किए गए इनपुट कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किए जाते हैं।

इन उपायों को तैयार करते समय पूर्वानुभव की भावना थी, क्योंकि पहले के संकट काल के दौरान इसी तरह की व्यवस्थाओं का अनुभव बहुत उत्साहजनक नहीं था। अब यह तर्क दिया जाता है कि, पिछली दृष्टि के लाभ के साथ, कि जीएफसी के बाद की अवधि के दौरान आर्स्ति वर्गीकरण पर कुछ विनियामक व्यवस्थाओं ने बाद के वर्षों में एनपीए के निर्माण में योगदान दिया। लेकिन फिर, उस अवधि के अनुभवों से जो महत्वपूर्ण सबक लिया गया था, वह यह था- समस्याग्रस्त संपत्तियों की, वास्तविक मूल्यांकन करके और साथ ही विनियामक योजनाओं के लिए जहां तक संभव हो सावधि विधि-खंडों का निर्माण करके, जल्द से जल्द 'पहचान' और 'प्रावधान' करने की आवश्यकता।

बेशक, उस समय विश्वसनीय ऋणशोधन अक्षमता व्यवस्था का अभाव भी बाद में सामने आने वाली समस्याओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक था। बस उस स्थिति की तुलना वर्तमान स्थिति से करें, जब 2016 से औपचारिक दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता लागू है। आईबीसी के आसपास के कानूनी मुद्दों को अपेक्षाकृत कम अवधि में काफी हद तक सुलझा लिया गया है, यह विशेष रूप से समाधान के लिए एक पसंदीदा माध्यम बन गया है विशेष रूप से बड़ी राशि वाले खाते के लिए।

इस संदर्भ में, कोविड-19 के मद्देनजर आरबीआई द्वारा घोषित समाधान फ्रेमवर्क ने अतीत से मिली सीख को आत्मसात कर लिया, एक तरफ विवेक और वित्तीय स्थिरता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखा, जबकि दूसरी ओर कोविड दबावग्रस्त उधारकर्ताओं की मदद करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली शुरू किया। फ्रेमवर्क के तहत लागू की गई समाधान योजनाओं में भुगतान का पुनर्निर्धारण, किसी भी अर्जित ब्याज का रूपांतरण, या अर्जित किया जाना, किसी अन्य क्रेडिट सुविधा में और दो साल तक के लिए उधारकर्ता की आय धाराओं के आकलन के आधार पर स्थगन प्रदान करना शामिल है। आशय यह था कि प्रत्येक उधारकर्ता के लिए राहत को बैंकों द्वारा इस तरह से तैयार किया जाना था कि इस मुद्दे से निपटने में व्यापक दृष्टिकोण रखने के बजाय उधारकर्ता द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट समस्या को पूरा किया जाए। एक अन्य विशिष्ट विशेषता इस बार बैंकिंग विशेषज्ञों के साथ गठित एक विशेष समिति थी, जो ऋण देने वाले

संस्थानों द्वारा कार्यान्वित प्रत्येक संकल्प योजना में पहचाने जाने वाले वित्तीय मानकों के लिए क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्क श्रेणियों पर पहुंचने के लिए थी।

जैसे-जैसे चीजें आगे बढ़ीं, दूसरी लहर के दौरान महामारी फिर से बढ़ने लगी। रिजर्व बैंक रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के साथ आया। इस बार यह मुख्य रूप से व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और एमएसएमई के लिए लक्षित था क्योंकि लॉकडाउन के उपाय प्रकृति में अधिक स्थानीय थे और प्रभाव बहुत सीमित था।

चुनौतियां

इन समाधान फ्रेमवर्क को लागू करने में, बैंकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों में उधारकर्ता की व्यवहार्यता स्थापित करना अपने आप में एक चुनौती थी, लेकिन अपेक्षाओं को प्रबंधित करना भी उतना ही कठिन था। महामारी के कारण हुए व्यापक आर्थिक पीड़ा को देखते हुए उम्मीदें अनेक थीं। उस समय किए गए कुछ अभ्यावेदन इस प्रकार थे:

- ऋण स्थगन को 31 अगस्त 2020 से आगे बढ़ाएँ;
- अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज /ब्याज पर ब्याज माफ करना;
- उधारदाताओं के विवेक के बजाय, सभी खातों के लिए अधिस्थगन की अनुमति दें;
- सभी प्रभावित खातों को बिना शर्त पुनर्चित करें;
- एनपीए खातों के अलावा फ्रेमवर्क के तहत समाधान के लिए सभी मानक खातों को शामिल करें, न कि केवल 30 दिनों से कम समय के लिए अतिदेय खाते को;
- रियल एस्टेट, आतिथ्य, अन्य संपर्क गहन क्षेत्रों, आदि जैसे क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों से निपटने के लिए फ्रेमवर्क को अनुकूल बनाएँ;
- वित्तीय मानकों से संबंधित कामथ समिति की सिफारिशों को संशोधित करें क्योंकि उन्हें हासिल करना कठिन और अव्यवहारिक माना जाता था।

एक विनियामकीय दृष्टिकोण से, महामारी के आर्थिक नतीजों के लिए विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने हेतु की गई कार्रवाई में समानता थी। मांगी गई सहायता की अनुमति देने से अच्छी-खासी आर्थिक लागतें आतीं, जिन्हें बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किए बिना अवशोषित नहीं किया जा सकता था, जो बदले में जमाकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने के अलावा नकारात्मक प्रभाव डालता।

यह भी सराहना की जानी चाहिए कि अधिस्थगन और संकल्प फ्रेमवर्क के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देश विवेकाधीन थे और उधारदाताओं के साथ-साथ उधारकर्ताओं के लिए भी अनिवार्य नहीं थे। उधार देने वाली संस्थाओं को उनकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के आधार पर किसी भी उधारकर्ता/उधारकर्ता के वर्ग को पारदर्शी तरीके से अधिस्थगन का विस्तार करने की अनुमति दी गई थी। इसी तरह, यहां तक कि उधारकर्ताओं के पास फायदा-नुकसान का आकलन करने के बाद यह तय करने का विवेक था अधिस्थगन का लाभ उठाना है या नहीं। दो कारणों से परिस्थितियों में एक विनियामकीय कानूनी आदेश देना संभव नहीं माना जाता था- पहला, हमें कोविड-जन्य दबाव और संरचनात्मक व्यवहार्यता संबंधी मसलों के बीच अंतर करने की आवश्यकता थी; और, दूसरा - उधार देने वाली संस्थाओं से प्रत्येक उधारकर्ता की व्यवहार्यता का आकलन करने की अपेक्षा की जाती थी क्योंकि उनके पास उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह की जानकारी थी और जोखिम और इनाम दोनों ही उनके पास थे।

क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं को डिजाइन करने की भी मांग थी। जहां तक क्षेत्र विशिष्ट मांगों का संबंध है, यह एक विनियामक के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है क्योंकि यह नैतिक खतरे संबंधी मुद्दों को जन्म देते हैं। इस प्रकार दृष्टिकोण यह था कि ऋण देने वाली संस्थाओं को समाधान फ्रेमवर्क में इस तरह के लचीलेपन के निर्माण के लिए अपनी योजनाओं को उपयुक्त तरीके से डिजाइन करने में मदद मिले। मूल तर्क यह है कि समाधान योजनाएँ अंततः उधार देने वाली संस्थाओं के व्यावसायिक निर्णय होते हैं, और विनियामक को केवल स्थिर-अवस्था वाले फ्रेमवर्क के माध्यम से काम की सीमाओं को विनिर्दिष्ट करना चाहिए। किसी विशेष क्षेत्र को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक

मुद्दों को हल करने के लिए विनियामकीय लचीलेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए और इस तरह की विनियामकीय व्यवस्थाएं केवल एक अस्थायी राहत प्रदान कर सकती हैं। कुल मिलाकर, प्रतिकूल प्रोत्साहन और अनपेक्षित परिणामों के संदर्भ में प्रत्येक विनियामकीय सहनशीलता के बीच तालमेल है।

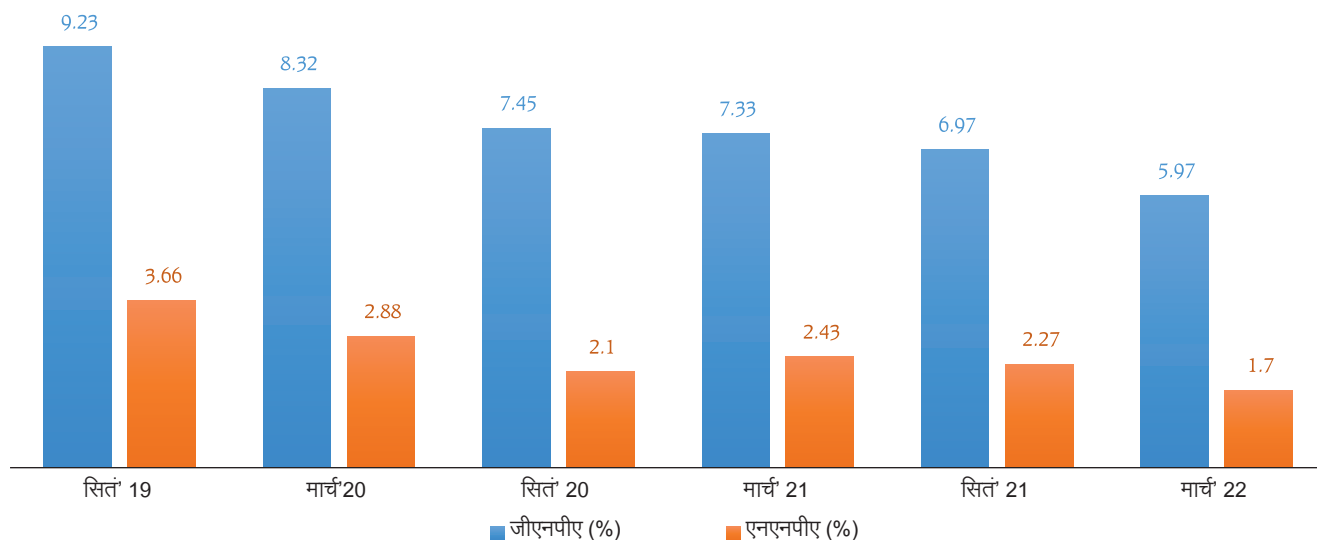
परिणाम

रिज़र्व बैंक और सरकार के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2021-22 में एससीबी के ऋण में वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) वृद्धि में तेजी आई। विनियामकीय हस्तक्षेपों की सफलता, पर्याप्त बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि का प्रावधान, अर्थव्यवस्था में ऋण मांग की स्थिति को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उठाव से परिलक्षित होता है। एससीबी के ऋण उठाव में गति अगस्त 2021 के अंत से ज्यादातर धनात्मक रही है और यह पिछले वर्ष के 5.6 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैंक ऋण के क्षेत्रीय परिणियोजन के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2022 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मार्च 2021 में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बैंक ऋण वृद्धि उत्साही कृषि क्षेत्र के लिए भी मजबूत रही। सरकार की ब्याज अनुदान योजना के निरंतर समर्थन के साथ कोविड-19 महामारी की अवधि। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के बाद औद्योगिक ऋण वृद्धि में लगातार सुधार हुआ और मार्च 2022 में 7.1 प्रतिशत तक पहुंच गया। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को दिए गए ऋण में भी मार्च 2022 में 21.5 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के दौरान 3.9 प्रतिशत थी। बड़े उद्योग के लिए ऋण वृद्धि, जो मुख्य रूप से दिसंबर 2021 तक संकुचन क्षेत्र में थी, जनवरी 2022 में धनात्मक हो गई और मार्च 2022 में 0.9 प्रतिशत हो गई¹।

बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य का प्रारंभिक मूल्यांकन उत्साहजनक है। कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में बैंकों के पुनर्गठित पोर्टफोलियो में सितंबर 2020 के बाद आरबीआई द्वारा घोषित समाधान ढांचे के मद्देनजर किए गए खातों के पुनर्गठन के कारण काफी विस्तार हुआ था। हालांकि, स्थिति धीरे-धीरे स्थिर होती दिख रही है।

¹ स्रोत: आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22

चार्ट 1: आस्ति गुणवत्ता लगातार सुधर रही है

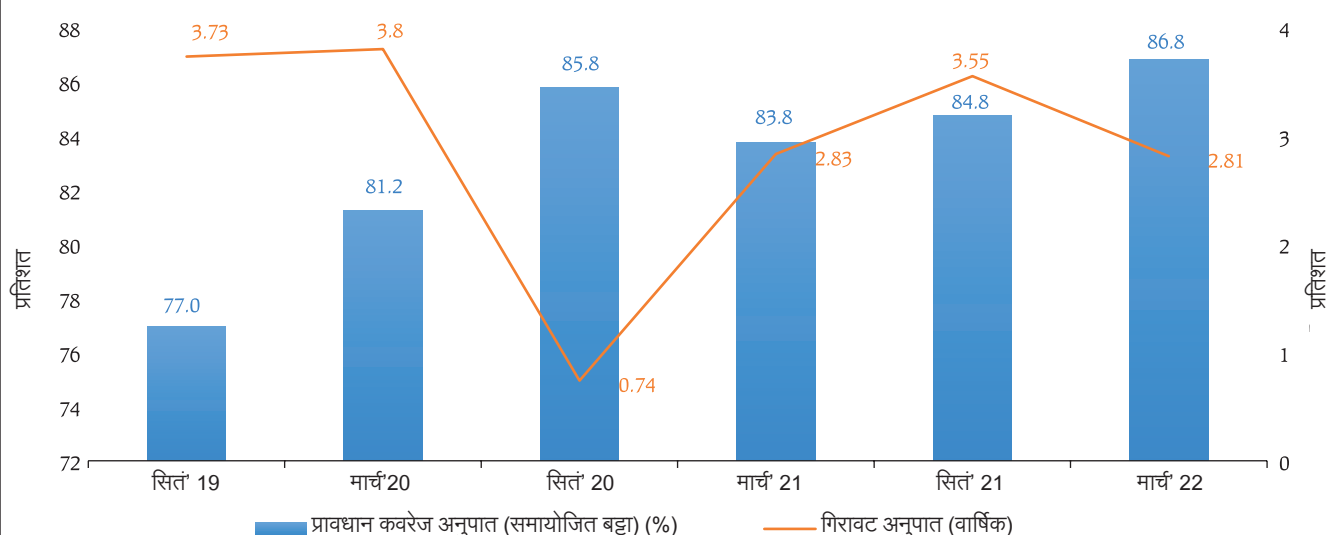


स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ; मार्च 2022 के आंकड़े अनंतिम हैं।

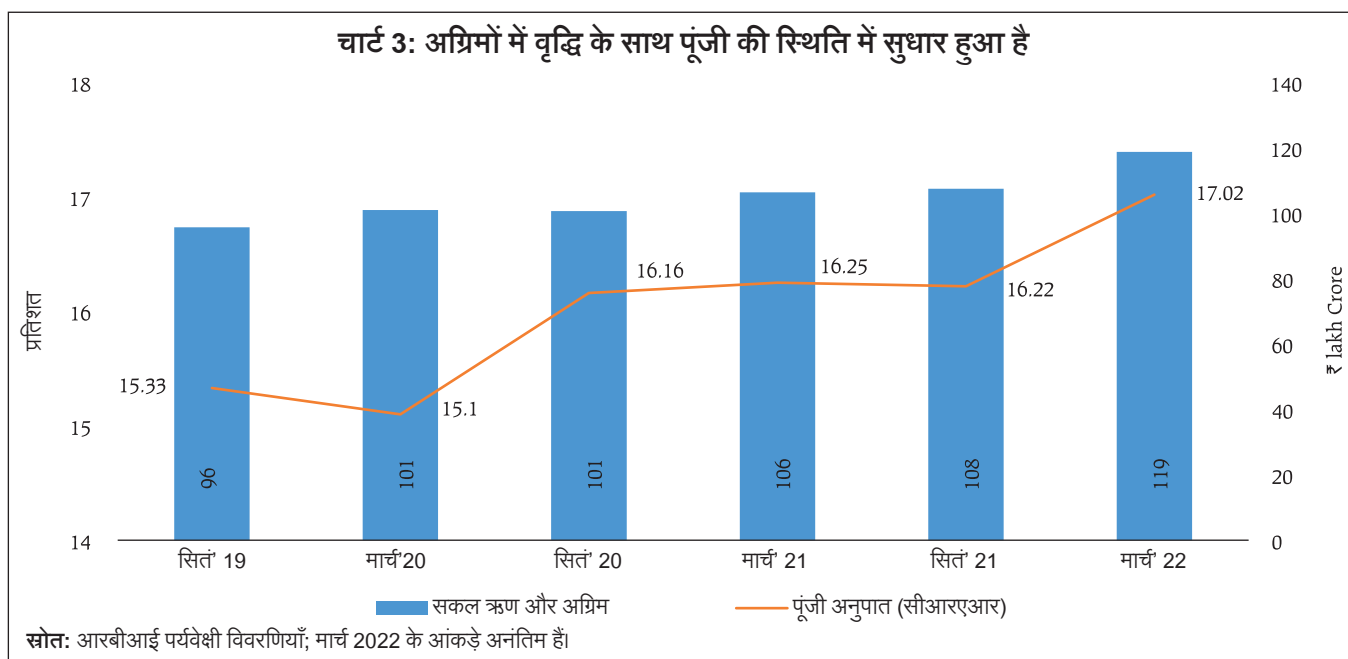
बैंकों की आस्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और बैंकों के जीएनपीए और एनएनपीए स्तरों में पूर्व-महामारी के स्तर से सुधार हुआ है। ताजा गिरावट को मोटे तौर पर नियंत्रण में लाया गया है। बैंकों ने भी खराब पोर्टफोलियो के लिए अपने प्रावधानों में वृद्धि की है, जिसमें समाधान फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित पुनर्चित खातों के प्रावधान शामिल हैं (चार्ट -1 और 2)।

बैंकों ने आर्थिक सुधार को उत्प्रेरित करने के लिए समय पर ऋण लेने की सुविधा भी प्रदान की है। सरकार द्वारा शुरू की गई ईसीएलजीएस योजना का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, जो उधार देने वाली संस्थाओं के बीच जोखिम से बचने के समग्र प्रयासों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ी हुई है।

चार्ट 2: प्रावधान कवरेज में सुधार हुआ है, जबकि गिरावट में मॉडरेशन के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियाँ; मार्च 2022 के आंकड़े अनंतिम हैं।



इन प्रयासों को निवेशकों के बीच भी समर्थन मिला है और बाजारों ने भी पूंजी वृद्धि के उपायों में बैंकों का समर्थन किया है। आज, अधिकांश बैंकों के पास एक आरामदायक पूंजी स्थिति है, जो उन्हें आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में लाना चाहिए (चार्ट -3)। ये डेटा बिंदु हमें इस मोड़ पर कुछ हद तक राहत देते हैं। हालाँकि, हमें यह देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है कि प्रभाव पूरी तरह से कैसे चलता है। जहाँ हमने वित्तीय प्रणाली पर महामारी के प्रभावों का सामना करने का प्रयास किया है, वहीं कार्य केवल आधा ही किया गया है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब हम महामारी प्रेरित विनियामकीय सहनशीलता से बाहर निकलते हैं तो वित्तीय प्रणाली पूरी तरह से बच जाए।

महामारी ने वित्तीय क्षेत्र को चलनिधि में वृद्धि, ऋण के प्रवाह और राहत कार्यक्रमों पर सरकारी खर्च के साथ एक अनुकूल गति का फायदा उठाते हुए देखा। वैश्विक मंचों पर इस बात पर तेजी से बहस हो रही है कि क्या महामारी से प्रेरित उपायों ने गैर-वित्तीय क्षेत्रों में उत्तोलन और कर्ज अधिकता का निर्माण किया है। इसलिए, बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए विवेक का प्रदर्शन किया जाना चाहिए कि क्या आस्ति गुणवत्ता के मौजूदा स्तर का प्रदर्शन डिलीवरेजिंग और दक्षता लाभ के कारण व्यवसाय के मूल सिद्धांतों

में सुधार के कारण या उपर्युक्त स्पष्ट उपायों के माध्यम से अधिकारियों द्वारा दिए गए समर्थन के कारण है। हम उम्मीद करते हैं कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपनी ऋण बहियों के दबाव परीक्षण को सक्रिय रूप से शुरू करें, जो उन्हें विभिन्न स्तरों के दबाव के अधीन लाते हैं, जिसमें कठोर परिदृश्य शामिल हैं ताकि निपटान में उपलब्ध हानि अवशोषण सीमा का अनुमान लगाया जा सके और जहाँ भी आवश्यक हो, इसे बढ़ाने के उपाय किए जा सकें।

आगे की राह

विनियामक के रूप में, हमें अभी बहुत कुछ करना है और इसलिए, सुनियोजित और सुविचारित विनियामकीय हस्तक्षेपों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र के लचीलेपन में सुधार के उपायों पर विचार करना और उन्हें लागू करना जारी है। एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियामकीय फ्रेमवर्क, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के लिए गतिविधि-आधारित विनियमन और निजी बैंकों के अभिशासन में सुधार के लिए दिशानिर्देश हमारे दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण हैं। जैसा कि हम विनियामकीय उपायों को जारी रखे हुए हैं, मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहता हूँ जो आने वाले समय में आर्थिक झटके का सामना करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को अधिक लचीला बनाने में मदद करेंगे।

हमारे कोविड के अनुभव से हम जो महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं, उनमें से एक यह है कि संकट की स्थितियों में किसी भी नीतिगत प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता वित्तीय क्षेत्र की बैलेंस शीट की ताकत पर गंभीर रूप से निर्भर है। बेसल समिति द्वारा कोविड-19 महामारी से शुरुआती सबक पर रखी गई रिपोर्ट में पाया गया है कि बैंकों के पास बढ़ी हुई गुणवत्ता और पूंजी और तरलता के उच्च स्तर ने उन्हें कोविड -19 महामारी के प्रभाव को अवशोषित करने में मदद की है। इसलिए यह अनिवार्य होगा कि संस्थागत लचीलेपन को बढ़ाने वाले उपयुक्त विवेकपूर्ण और लेखा ढांचे को स्थापित करने की दिशा में काम किया जाए।

इसे हासिल करने के लिए, हम इस साल जनवरी में एक चर्चा पत्र लेकर आए हैं, जिसमें निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की व्यापक समीक्षा के लिए हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई हैं। निवेश के मूल्यांकन के दिशा-निर्देशों को पिछली बार वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था। तब से, घरेलू वित्तीय बाजारों में मात्रा, चलनिधि और अंतर्निहित प्रौद्योगिकी के मामले में कई गुना वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर, सरकारी प्रतिभूति बाजार में हमने एक अनाम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान प्रणाली अर्थात एनडीएस-ओएम, डीवीपी-III का परिचालन, केंद्रीय प्रतिपक्षकार के रूप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) की स्थापना और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की शुरुआत और बाजार रीपो, त्रिपक्षीय रीपो, ब्याज दर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे व्यापार और हेजिंग उत्पादों का एक पूरा सूट आदि देखा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, विनियामकीय मानदंडों और लेखांकन प्रथाओं में कई बदलाव हुए हैं। जहां आरबीआई परिस्थितियों के अनुरूप दिशानिर्देशों को बदल रहा है, वहीं हमारे मानदंडों और वैश्विक मानकों और प्रथाओं के बीच एक व्यापक अंतर था। इसलिए एक व्यापक समीक्षा अतिदेय और आवश्यक थी।

चर्चा पत्र (डीपी) में आमूलचूल परिवर्तन का प्रस्ताव है जो बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन में अधिक लचीलापन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि संवर्धित प्रकटीकरण के माध्यम से चिंताओं को दूर करते हैं। विचार वैश्विक मानकों के

साथ विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क को संरेखित करना है, जबकि उन तत्वों को बनाए रखना है जो घरेलू संदर्भ में सुसंगत हैं। चर्चा पत्र में कुछ प्रस्ताव उचित मूल्य लाभ और हानि की सममित पहचान, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) बही, आदि निवेश में गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों को शामिल करने की अनुमति देकर निवेश पोर्टफोलियो जैसे परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) पर विभिन्न प्रतिबंधों को हटाना है। डीपी में प्रस्ताव, विशेष रूप से प्रकटीकरण के संबंध में, बैंकों को ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करते हुए पारदर्शिता और बाजार अनुशासन को बढ़ावा देंगे। हम प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित मानदंडों को अंतिम रूप देने के उन्नत चरण में हैं और जल्द ही नए फ्रेमवर्क पर दिशानिर्देश जारी करने की उम्मीद करते हैं।

एक और मुद्दा जो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, वह है ऋण जोखिम पर प्रावधान करने की रूपरेखा। वर्तमान में, भारत में परिचालन करने वाले बैंकों को नुकसान के मॉडल पर ऋण हानि प्रावधान करने की आवश्यकता होती है, जिसमें डिफॉल्ट होने के बाद प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि, लोन डिफॉल्ट अपने आप में दबाव का एक सुस्त संकेतक है, या और कहे तो ऋण खाते में एक अवधि में दबाव के निर्माण का परिणाम है। इस प्रकार, नुकसान का दृष्टिकोण अक्षम है क्योंकि यह आर्थिक मंदी के दौरान प्रति-चक्रीय साबित हो सकता है जो बैंकों के स्वास्थ्य के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

इसका मतलब यह भी था कि क्रेडिट जोखिम की पहचान और क्रिस्टलीकरण आमतौर पर बैंकों के लिए क्रेडिट जोखिम में वास्तविक वृद्धि से पीछे है। वर्ष 2007-09 के वित्तीय संकट के दौरान “होने वाली हानि” दृष्टिकोण के तहत अपेक्षित हानियों को पहचानने में इस तरह की देरी ने गिरावट को और बढ़ा दिया। चूक में प्रणालीगत वृद्धि का सामना करते हुए, ऋण हानियों को पहचानने में देरी के परिणामस्वरूप बैंकों को उच्च प्रावधान करने पड़े, जिससे पूंजी को ठीक ऐसे समय में रखा गया जब बैंकों को अपनी पूंजी को इकट्ठा की आवश्यकता थी, जिससे उनकी आघात-सहनीयता प्रभावित हुई और प्रणालीगत जोखिम बढ़ गया। इसके अलावा, ऋण हानियों को पहचानने में देरी और

परिणामस्वरूप उच्च लाभांश भुगतान ने पूंजी के लिए आंतरिक उपार्जन को कम कर दिया।

इस अनुभव ने जी -20 और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) को लेखांकन मानक निर्धारकों को यह सिफारिश करने के लिए प्रेरित किया कि वे पहचाने जाने से पहले होने वाले नुकसान की आवश्यकता के बजाय अधिक दूरदेशी दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए प्रावधान प्रथाओं को संशोधित करें। इसने प्रावधान मानकों को अपनाने की दिशा में कदम को प्रोत्साहित किया, जिसके लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल के उपयोग की आवश्यकता होती है, न कि नुकसान वाले मॉडल के। सैद्धांतिक रूप में, दृष्टिकोण के लिए एक क्रेडिट संस्थान की आवश्यकता होती है कि वह संबंधित हानि प्रावधान करने से पहले ऋण हानियों की प्रतीक्षा करने के बजाय दूरदेशी अनुमानों के आधार पर अपेक्षित ऋण हानियों का अनुमान लगाए।

हालांकि, भारत में बैंक ऋण हानि प्रावधान के लिए “होने वाली हानि” दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जबकि बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) ऋण हानियों का अनुमान लगाने के लिए “अपेक्षित ऋण हानि” दृष्टिकोण का पालन कर रही हैं। इसलिए, विनियमों में वैश्विक अभिसरण प्राप्त करने के लिए, हमने बैंकों के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) पर एक रूपरेखा की

शुरुआत पर एक चर्चा पत्र जारी करने का प्रस्ताव किया है। सोच सिद्धांत-आधारित दिशानिर्देश तैयार करना है, जिसे जहां कहीं आवश्यक हो, विनियामकीय बैकस्टॉप द्वारा पूरक किया जाएगा। चर्चा पत्र में प्रस्तावित दृष्टिकोण पर कारोबारी समुदाय सहित सभी हितधारकों से टिप्पणियां मांगी जाएंगी और संक्रमण के अंतिम रूप में प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखा जाएगा।

समापन टिप्पणी

पिछले दो साल सभी के लिए कठिन रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के रूप में हमने सुदृढ़ता दिखायी है और डंटकर मुकाबला किया है। जैसा-जैसे हम धीरे-धीरे महामारी के बाद की दुनिया में कदम रख रहे हैं, हमें वित्तीय प्रणाली को डिजाइन और पोषण करने में वक्र से आगे रहने का प्रयास करना चाहिए जो कि सुदृढ़ और टिकाऊ हो। अंत में, मैं आपके समक्ष नेल्सन मंडेला का एक विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ:

“महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि गिरकर हर बार उठने में है।

और वास्तव में, हम मजबूत होकर बढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं! धन्यवाद।